13/5/25- पदावली पेश हुई / वकील वादी अनुपस्थित
वादी का वाद Od R5 C.P.C. के स्थगित
किया जा चुका है। इस लिए TE प्रार्थना-पत्र
का कोई औचित्य नहीं रह जाता है।
इसलिए TE प्रार्थना-पत्र खारिज किया
जाता है। पदावली श्रीमान कुमार शेखर
बाजपेयी के नाम होकर 1 माह बाद
की आदेश हेतु न्यायालय में रखा जाए।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Varma
Date: 2025.07.23 13:07:22 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
साँभर लेक

Scanned with OKEN Scanner